न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 – 2020/00135
राजस्व वाद संख्या 26/2020

पिस्ता देवी अग्रवाल पत्नी गणेश नारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 6/407, विधाधर नगर जयपुर शहर जयपुर।

– – – प्रार्थीयां

बनाम

1. सत्यनारायण शर्मा पुत्र हनुमान सहाय शर्मा
2. उमेश पुत्र सत्यनारायण शर्मा
3. तेजपाल पुत्र सत्यनारायण शर्मा
4. संतोष उर्फ सोनू पुत्री सत्यनारायण शर्मा
   समस्त 01 लगायत 4 जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. योगीता पुत्री राधाकृष्ण मीणा
6. राकेश कुमार पुत्र राधाकृष्ण मीणा
7. राजेश कुमार पुत्र राधाकृष्ण मीणा
8. ललिता देवी पत्नी राधाकृष्ण मीणा
   समस्त 05 लगायत 08 जाति मीणा निवासी प्लाट नम्बर 04, गंगापोल दरवाजे के बाहर, तहसील व जिला जयपुर।
9. छोटी देवी पत्नी डूंगाराम
10. परताब पुत्र भोरया
11. रामचंदा पुत्र भोरया
12. कल्याण पुत्र नारायण (नाम हजफ)
13. बोदू पुत्र नारायण
14. चंदी पत्नी स्व0 रामफूल
15. छोटीलाल पुत्र प्रभात
16. फैलीराम पुत्र प्रभात
17. बनवारी पुत्र प्रभात
18. रामनारायण पुत्र प्रभात
19. देब्या पुत्र खूबा
20. प्रभाती पत्नी स्व0 गिरधारी
21. रामपाल पुत्र गिरधारी

22. रघुनाथ पुत्र गिरधारी
23. रामू पुत्र किशना
24. रामदयाल पुत्र कानाराम
25. हनुमान सहाय पुत्र कानाराम
26. लाला पुत्र भौरया
27. गोविन्दनारायण पुत्र रामनाथ
28. फूलचन्द पुत्र रामनाथ
29. मोहनलाल पुत्र रामनाथ
30. गोपाललाल पुत्र भगवाना
31. शिवनारायण पुत्र भगवाना
32. मुरली पुत्र भूरा
33. रमेश पुत्र नाथू
34. रामफूल पुत्र नाथू
35. लोकेश पुत्र नाथू
36. गुलाब पुत्र कजोडिया
37. छोटिया पुत्र कजोडिया
38. फैल्या पुत्र कजोडिया
39. शम्भू पुत्र कजोडिया

    समस्त 09 लगायत 39 जाति मीणा, निवासी ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
40. मुकेश कुमार मीणा पुत्र मुरारीलाल मीणा, जाति मीण निवासी फ्लेट नम्बर 201, जगमोहन गोल्डनफारच्यून अपार्टमेन्ट, बापू नगर जयपुर हाल निवासी मारफत बालाजी यूनिक बिल्डर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय ए–32–33, फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 08 रोहिणी दिल्ली 85
41. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111
भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :–22.07.2022

प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 2035 रकबा 0.1900 हैक्टे0, ख0नं0 2036 रकबा 0.0662 हैक्टे0, ख0नं0 2038 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 2039 रकबा 0.2000 हैक्टे0, ख0नं0

2040 रकबा 0.6800 हैक्टे0, कुल किता 5 रकबा 1.2162 हैक्टे0 स्थित है। जो प्रार्थीयां की कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है। उपरोक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2016 को मुताबिक आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय आमेर जिला जयपुर के आदेश क्रमांक / एल.आर. / 2016 / 2201 दिनांक 27.05.2016 की पालना में की जा चुकी है। जिसकी सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है।

प्रार्थीयां की उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसके मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उभय पक्षकारान् अपने अपने खसरा नम्बरान पर साधिकार काबिज काश्त है। भविष्य में प्रार्थीयां की उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं पर स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं के बाबत् किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए उक्त सीमाओं का मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट नियमानुसार पत्थरगढी की जानी न्यायहित में अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2016 की अनुपालना में ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2035 रकबा 0.1900 हैक्टे0, ख0नं0 2036 रकबा 0.0662 हैक्टे0, ख0नं0 2038 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 2039 रकबा 0.2000 हैक्टे0, ख0नं0 2040 रकबा 0.6800 हैक्टे0, कुल किता 5 रकबा 1.2162 हैक्टे0 की राजस्व सीमाओं पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी सं0 1, 13, 26 उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से प्रा0 पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं0 1, 13 ,26 की ओर से प्रा0पत्र पर सुना गया। अप्रार्थीगण सं0 2, 3, 13, 24 लगायत 26 एवं 36 लगायत 39 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। शेष अप्रार्थीगण सं0 04 लगायत 11, 14 लगा. 23, 27 लगा. 35 एवं 40 को रजिस्टर्ड डाक कराये 01 माह से अधिक समय हो चुका है इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 41 तहसीलदार, आमेर के पत्रांक भू.अ. / 21 / 3777 दि. 22.07.2021 के अनुसार वाके ग्राम चिताणुकलां में आराजी ख0नं0 2035, 2036, 2038, 2039, 2040 कुल किता 5 रकबा 1.2162 हैक्टे0 की खातेदारी पिस्ता देवी अग्रवाल पत्नी गणेशनारायण अग्रवाल जाति महाजन नि0 प्लाट नं0 6 / 407 विधाधर नगर जयपुर के नाम दर्ज राजस्व

रिकॉर्ड है। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर का सीमाज्ञान तहसीलदार आमेर के आदेश क्रमांक/एल.आर./2016/2201 दिनांक 27.05.2016 की पालना में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 2.7.2016 को सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई। ख0नं0 2035 व 2036 की दक्षिणी दिशा में ख0नं0 2049 किस्म गै0मु0 रास्ता जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। ख0नं0 2035 की पश्चिमी दिशा में सिति ख0नं0 2034 की खातेदारी परताब, रामचन्दा पुत्र भोरया, छोटी देवी पत्नी डूंगाराम जाति मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

ख0नं0 2035, 2039 व 2040 के पश्चिमी दिशा में आराजी ख0नं0 2029, 2030, 2031 की खातेदारी रामनारायण, छोटीलाल, फैलीराम, बनवारी पुत्र प्रभात, लाला पुत्र भैरया मीणा राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चंदवाजी रामू पुत्र किशना, कल्याण, बोदू पुत्र नारायण, हनुमान सहाय, रामदयाल पुत्रान कानाराम, देब्या पुत्र खूबा, प्रभाती पत्नी स्व0 गिरधारी, रामपाल, रघुनाथ पुत्र गिरधारी, चन्दी पत्नी स्व. रामफूल जाति मीणा सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 2040 के उत्तरी दिशा में स्थित ख0नं0 1911 व 2042 में ख0नं0 1911 की खातेदारी मोहनलाल, गोविन्दनारायण, फूलचन्द पुत्र रामनाथ जाति मीणा राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा कूकस, मुकेश कुमार मीणा पुत्र मुरारीलाल मीणा जाति मीणा सा.नि. फ्लेट नं. 201 जगमोहन गोल्डनफारचून अपार्ट मेन्ट, बापूनगर जयपुर हाल नि. कॉलोनी बालाजी यूनिक बिल्डर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय ए–32–33 फस्ट फ्लोर सेक्टर 8 रोहिणी 85 दिल्ली खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 2040 के पूर्वी दिशा में स्थित आराजी ख0नं0 2041 की खातेदारी शम्भू, फैल्या, गुलाब, छोटिया पुत्र कजोडिया जाति मीणा सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 2038 के पूर्वी दिशा में स्थित आराजी ख0नं0 2046 की खातेदारी ललिता देवी, राजेश कुमार, राकेश कुमार, योगिता पुत्र राधाकृष्ण जाति मीणा निवासी प्लाट नं0 4 गंगापोल दरवाजे बाहर जयपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 2038 के दक्षिणी दिशा व ख0नं0 2036 के पूर्वी दिशा में स्थित आराजी ख0नं0 2036/1, 2037, 2047 की खातेदारी तेजपाल, उमेश पुत्र सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा पुत्र हनुमान सहाय शर्मा जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चन्दवाजी, संतोष उर्फ सोनू पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। बिन्दू सं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 में किसी भी न्यायालय का स्थगन, अब्दूल रहमान, मंदिर माफी रेफरेन्स का नोट वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है।

प्रार्थीयां अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 सीपीसी के तहत खातेदारी कृषि भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही बाद पत्थरगढी करवाने का प्रार्थीयां खातेदार अधिकारी है। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीयां से ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2035 रकबा 0.1900 हैक्टे0, ख0नं0 2036 रकबा 0.0662 हैक्टे0, ख0नं0 2038 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 2039 रकबा 0.2000 हैक्टे0, ख0नं0 2040 रकबा 0.6800 हैक्टे0, कुल किता 5 रकबा 1.2162 हैक्टे0 भूमि की पत्थरगढी फीस प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के ओदशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

आदेश आज दिनांक 22.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।